न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री मारिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 92 / 2024

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुआदेवी पत्नी देवाराम जाति खारड़िया (सीरवी) निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राज0।		01. अनिल पुत्र गुलाब 02. सुनिल पुत्र गुलाब जातिगण माली निवासीगण साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली। 03. तहसीलदार (भूमिधारक), सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री देवेन्द्र व्यास, श्री कैलाश दवे अधिवक्तागण वादीया उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक –21/05/2025

अधिवक्ता मय वादीया ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा साण्डिया तहसील सोजत के वर्तमान खाता सं0 984 के खसरा नम्बर 855 रकबा 5.8500 है0 की वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादीया द्वारा अपने 1/6 + 227/1170 वां हक हिस्से की भूमि का मौके पर काबिज स्थिति व दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण से विधि बंटवाड़ा चाहा गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 16.10.2024 को बाद सुनवाई वादीया का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादीया की भूमि का मौका, कब्जा, रेकर्ड तथा हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/रीडर/2025/579 दिनांक 06.05.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादीया अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीया को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03.03.2025 वादीया का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादीया की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03.03.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा साण्डिया तहसील सोजत के वर्तमान खाता सं0 984 के खसरा नम्बर 855 रकबा 5.8500 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम साण्डिया में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	सुआदेवी पत्नि देवाराम कौम सीरवी सा0 देह खातेदार	855	2.1100	बा0अ0	12.66
		01	2.1100	–	12.66
2.	अनिल पुत्र गुलाब हि0 195/374 सुनिल पुत्र गुलाब हि0 179/374 कौम माली सा0 देह खातेदार	855/1 855/2	0.1600 3.5800	बा0अ0 बा0अ0	
		02	3.7400		22.44

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 21/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीया

01. सुआदेवी पत्नी देवाराम जाति खारड़िया (सीरवी) निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

01. अनिल पुत्र गुलाव
02. सुनिल पुत्र गुलाव जातिगण माली निवासीगण साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली।
03. तहसीलदार (भूमिधारक), सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वादः– 92 / 2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री देवेन्द्र व्यास, श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा साण्डिया तहसील सोजत के वर्तमान खाता सं0 984 के खसरा नम्बर 855 रकबा 5.8500 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम साण्डिया में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	सुआदेवी पत्नि देवाराम कौम सीरवी सा0 देह खातेदार	855	2.1100	बा0अ0	12.66
		01	2.1100	–	12.66
2.	अनिल पुत्र गुलाब हि0 195 / 374 सुनिल पुत्र गुलाब हि0 179 / 374 कौम माली सा0 देह खातेदार	855 / 1 855 / 2	0.1600 3.5800	बा0अ0 बा0अ0	
		02	3.7400		22.44

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान– मुबलिग – बाबत ––

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना व्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 21/05/2025 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

उपखण्ड अधिकारी जिला-पाली (राज.)